

इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

IPC/101/10

23 अक्टूबर, 2017

सूचना

अक्सर यह देखा गया है कि कुछ सहकर्मी चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करते समय दवा के पर्चे (पर्चों) की स्वयं अनुप्रमाणित फोटो प्रति (प्रतियाँ) प्रस्तुत कर रहे हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पैनल में आने वाले निजी अस्पताल (अस्पतालों) द्वारा जारी किए गए दवा के पर्चे मूल रूप में ही प्रस्तुत किए जाएं और स्वयं अनुप्रमाणित फोटो प्रति तभी प्रस्तुत की जाए जबकि उपचार किसी सरकारी अस्पताल में करवाया गया हो।

प्रशासनिक अधिकारी
प्रियोग्य अनुबंध